रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11032023-244268
CG-DL-W-11032023-244268

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 9] **नई दिल्ली, मार्च 5—मार्च 11, 2023, शनिवार/फाल्गुन 14—फाल्गुन 20, 1944**
No. 9] **NEW DELHI, MARCH 5—MARCH 11, 2023, SATURDAY/PHALGUNA 14—PHALGUNA 20, 1944**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद **309** के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय में न्याचार अधिकारी (प्रोटोकाल ऑफिसर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं**,** अर्थातः**-**

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मंत्रिमंडल सचिवालय, न्याचार अधिकारी (प्रोटोकाल ऑफिसर), (समूह 'ख') पद भर्ती नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

the SSC.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruitment. In all cases of direct recruitment there should be a mandatory induction training of at least two weeks duration. Successful completion of the training may bemade a pre-requisite forcompletion of probation. The syllabus for the training may beprescribed by the Cadreauthorities in consultation with the Training Division ofDepartment of Personnel and Training. 'Nil' for promotees.	" 50% by promotion failing which by deputation and 50% by Direct recruitment through S.S.C.'

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerk (Level 2 in the pay matrix) with 8years' service in the grade. Deputation: Officer from Central Government (i)holding analogous posts (ii)with 8 years regularservice in the post in the level 2 of pay matrix possessingeducational qualificationas mentioned in columnNo.(7).	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1.Additional Director - Chairman 2.Deputy Director (Rehabilitation) - Member 3.Professor (Physical Medicine Rehabilitation) - Member 4. Concerned Head of Department - Member Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1.Additional Director - Chairman 2.Deputy Director (Rehabilitation) - Member 3.Professor (Physical Medicine Rehabilitation) - Member 4. Concerned Head of Department - Member	Not applicable.

[F. No. A.11018/17/2015-MH.II/NCD.I]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2023

सा.का.नि. 22.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, नर्सिंग सिस्टर भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, तमिलनाडु में ज्येष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, ज्येष्ठ नर्सिंग अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती कि पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पद पर भर्ती कि पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसका पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्तिः** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृतिः** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ नर्सिंग अधिकारी।	*12 (2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100/-)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	परिवीक्षा कि अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों कि

व्यक्तियो की दशा में लागू होंगी या नहीं।		प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/-रु) में ऐसे नर्सिंग अधिकारी जिन्होंने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की हो और निकटम प्रमूल देखरेख केन्द्र में दो से चार सप्ताह का नर्सिंग पुनश्चर्या प्रशिक्षण या नर्सिंग कौशल को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण पूरा किया हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्योलयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन नर्स के रुप में कार्यरत ऐसे अधिकारी- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है;या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात् 1. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बैचलर ऑफ साइंस (आनर्स) में डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंस में डिग्री। (ii) राज्य नर्सिंग परिषद के साथ नर्स और नर्सिंग मिडवाइफ (आरएन और आरएम) के रुप में रजिस्ट्रीकृत हो। या	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः— 1. अतिरिक्त महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय - अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक (कुष्ठ रोग), स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय – सदस्य; 3. निदेशक (ए एंड वी), स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय – सदस्य; 4. उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय – सदस्य;	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

2. (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड या परिषद से साधारण नर्सिंग मिडवाइफ में ड़िप्लोमा या पुरुषों के लिए अनुकल्पी पाठ्यक्रम। (ii) राज्य नर्सिंग परिषद के साथ नर्स और नर्सिंग मिडवाइफ (आरएन और आरएम) के रुप में रजिस्ट्रीकृत हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली है। **टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिका नहीं होगी।		

[फा. सं. ए 12018/15/2017-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd March, 2023

G.S.R. 22.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu, Nursing Sister, Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Nursing Officer in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Tamil Nadu in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Senior Nursing Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached to the said post shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Nursing Officer.	12* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation including short term contract.	**Promotion:** Nursing Officer in Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with two years of regular service in the grade and having undergone a two to four weeks of nursing refresher training or training for updating nursing

	skill in nearby tertiary care center. Deputation (including short term contract): Officers working as Nurse under the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with two years service after appointment to the post on a regular basis in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: 1.(i) a degree in Bachelor of Science (Hons.) in Nursing from a recognised University or Institute. OR a degree in Bachelor of Science Nursing from a recognised University or Institute. (ii) Registered as a Nurse and Nursing Midwife (RN and RM) with the State Nursing Council. OR 2. (i) Diploma in General Nursing Mid-wife or alternative course for male from a recognised Board or Council. (ii) Registered as a Nurse and Nursing Mid-wife (RN and RM) with the State Nursing Council. **Note 1** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service **Note 2**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 4:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1.Additional Director General, Directorate General of Health Services - Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on Deputation (including short term contract).

2. Deputy Director General (Leprosy), Directorate General of Health Services – Member; 3. Director (A and V), Directorate General of Health Services – Member; 4. Deputy Director Administration, Directorate General of Health Services – Member.	

[F. No. A-12018/15/2017-Lep]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.